बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–1

(पंजीयन–633/2003)

अध्यक्ष
कृष्ण मुरारी शर्मा
☎ : 2224282(O), 2353207(R)

महासचिव
विपिन कुमार सिन्हा
☎ : 2205421(R), 9835253822(M)

उपाध्यक्ष
भगलू रजक
सोहैब अहमद
संयुक्त सचिव
केशव कुमार सिंह
केशव रंजन प्रसाद
कोषाध्यक्ष
महेश प्रसाद गुप्ता
☎ : 2232755(O), 2262597(R)

पत्रांक– 42 दिनांक 8-7-06

सेवा में,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार, पटना ।

विषयः श्री परमेश्वर राम बि0प्र0से0), अनुमंडल पदाधिकारी हथुआ, गोपालगंज का फुलवरिया पंचायत समिति के प्रमुख/उप प्रमुख के निर्वाचन में माननीय सासंद श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव के द्वारा अराजक स्थिति उत्पन्न किये जाने से संबंधित प्रतिवेदन का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक फुलवरिया पंचायत समिति के प्रमुख/उप प्रमुख के निर्वाचन में माननीय सांसद, श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव के द्वारा अराजकता की स्थिति उत्पन्न किये जाने के फलस्वरूप श्री परमेश्वर राम, अनुमंडल पदाधिकारी, हथुआ के विरूद्ध कार्रवाई की अनुशंसा के विरूद्ध संघ निम्नलिखित तथ्यो को आपके समक्ष रखना चाहता है :–

(1) फुलवरिया पंचायत समिति के प्रमुख/उप प्रमुख के निर्वाचन के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु अनुमंडल पदाधिकारी/ दण्डाधिकारी एवं आरक्षी पदाधिकारियो की प्रतिनियुक्ति उनके ज्ञापांक – 535/536 दिनांक 22.6.2006 के द्वारा की गयी ।

(2) निर्वाचन के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु सशस्त्र बलों / लाठी बल/ आश्रु गैस दस्तो की प्रतिनियुक्ति के लिए ज्ञापांक 539/सी0 दिनांक 22.6.2006 के द्वारा जिला दण्डाधिकारी से अनुरोध किया गया ।

(3) उक्त कार्यक्रम को स्वच्छ एवं शान्तिपूर्ण कराने हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निदेशानुसार धारा–144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत निषेधाज्ञा लागू किया गया ।

(4) जब निर्वाचन के दिन अनुमण्डल पदाधिकारी प्रखण्ड कार्यालय पहुँचे तो उन्होने पाया कि तनावपूर्ण स्थिति होने के बावजूद थाना प्रभारी घटना स्थल पर उपस्थित नहीं थे तथा साथ ही प्रतिनियुक्ति के अनुसार सशस्त्र बल और लाठी बल घटना स्थल पर प्रतिनियुक्त नहीं था ।

(5) सशस्त्र बल और आरक्षी पदाधिकारी के अनुपलब्धता एवं अपर्याप्त संख्या में प्रतिनियुक्ति के कारण माननीय संसाद एवं उनके कमाण्डो फोर्स द्वारा की गयी जोर–जबर्दस्ती को रोका नहीं जा सका और उनके कमाण्डो फोर्स ने अराजकता की स्थिति उत्पन्न कर दहशत भरा मौहल उत्पन्न कर दिया ।

दी गई थी । पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है ।

3. मेरे द्वारा अपने पत्रांक– 539/सी0 दिनांक– 22.6.06 के

(6) इस संबंध में यह भी कहना है कि स्थानीय थाना प्रभारी द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी के आदेश को नहीं मानने के कारण अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई और उसके लिए वहाँ के स्थानीय थाना प्रभारी के साथ–साथ सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति करने वाले पदाधिकारी दोषी है ।

उपरोक्त विशलेषण से यह स्पष्ट है कि अनुमण्डल पदाधिकारी के विरूद्ध बिना सम्यक जॉचोपरान्त अगर कार्रवाई की जाती है तो यह प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध होगा ।

अतः ''संघ'' अपील करता है कि इस संबंध में कोई भी कार्रवाई करने के पूर्व राज्य निर्वाचन आयोग अपने स्तर से जॉच निश्चित रूप से करा ले जिससे कि घटना में संलग्न पदाधिकारियो को न्याय मिल सके ।

संलग्न – अनुमण्डल पदाधिकारी हथुआ का अभ्यावेदन ।

(विपिन कुमार सिन्हा)
महासचिव

(कृष्ण मुरारी शर्मा)
अध्यक्ष

ज्ञापांक – 42 /वि0प्र0से0 संघ, पटना, दिनांक 8 / 7 /2006

प्रतिलिपि – अध्यक्ष, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित । भवदीय से अनुरोध होगा कि इस संबंध में किसी भी कार्रवाई करने से पहले घटना की निष्पक्ष जॉच मुख्यालय स्तर के पदाधिकारी से कराने की कृपा की जाय ।

ह0/–
(विपिन कुमार सिन्हा)
महासचिव

ज्ञापांक – 42 /वि0प्र0से0 संघ, पटना, दिनांक 8 / 7 /2006

प्रतिलिपि – श्री परमेश्वर राम (वि0प्र0से0), अनुमण्डल पदाधिकारी, हथुआ, गोपालगंज को सूचनार्थ प्रेषित ।

(विपिन कुमार सिन्हा)
महासचिव